## न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

**प्रकरण संख्या–अपील/डिक्री/टी.ए./2805/2006/बाडमेर**

1– भीमा उर्फ भीमाजी वल्द समेला, जाति पुरोहित निवासी गांव लूदराडा तहसील सिवाना, जिला बाडमेर मृतक जरिये वारिसानः–

1/1– हरचंद पुत्र श्री भीमा उर्फ भीमजी जाति पुरोहित निवासी गांव लूदराडा तहसील सिवाना, जिला बाडमेर

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1– लिकमा वल्द मोडाराम जाति जाति पुरोहित निवासी गांव लूदराडा तहसील सिवाना, जिला बाडमेर

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिवाना जिला बाडमेर

**–रैस्पोडेन्ट्स**

**खण्डपीठ**
**श्री गणेश कुमार, सदस्य**
**श्री अविनाश चौधरी, सदस्य**

**उपस्थितः–**

श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, रैस्पोडेन्टस

**निर्णय**

**दिनांकः 04–10–2023**

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा अपील संख्या–69/2003 बउनवानी लिकमाराम बनाम भीमाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पोडेन्ट संख्या–1 वादी लिकमा ने सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), बालोतरा के न्यायालय में वाद पेश कर ग्राम लूदराडा स्थित आराजी खसरा नम्बर–233 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 229 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर– 234 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा तथा मौजा बालू स्थित आराजी खसरा संख्या–198 पुराना रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा व नया रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा और खसरा नम्बर– 248 पुराना रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा व नया

रकबा 27 बीघा 06 बिस्वा के सम्बंध में घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक वाद अपीलांट/प्रतिवादी भीमा के विरूद्ध पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अपीलांट ने जबाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया और कथन किया कि खसरा नम्बर 198 की नया रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा आराजी व खसरा नम्बर- 248 नया रकबा 27 बीघा 06 बिस्वा उसके पिता श्री समेला की स्वयं की आराजी है जिसमें वादी लिकमा अथवा उसके पिता मोडाराम का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित चार तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक व दस्तावेजी लिपिबद्ध करने के उपरान्त बहस सुनकर निर्णय दिनांक 05-11-2003 से वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा लूदराडा खसरा नं 233, 299 रकबा 6 बीघा 16.07 कुल 22.07 का बाई मिटस एंड बाउण्डस बंटवारा करते हुए प्राथमिक डिक्री पारिक की। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-01-2004 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए वादी अपीलान्ट को ग्राम लादूराडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 06बीघा, खसरा नम्बर 299 रकबा 16बीघा 05बिस्वा, खसरा नम्बर 234 रकबा 07बीघा 03बिस्वा तथा मौजा बाूल स्थित आराजी खसरा नम्बर 198 पुराना रकबा 18बीघा 17बिस्वा व नया रकबा 28बीघा 17बिस्वा और खसरा नम्बर 248 पुराना रकबा 16बीघा 06बिस्वा व नया रकबा 27बीघा 06बिस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विभाजन प्रस्ताव तलब करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनकर अन्तिम डिक्री पारित करें। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादी ने धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया था। विवादित सम्पत्ति पूर्वजों के नाम से थी। अमरा राम के तीन सन्तान जयमाल, समेला और मोडा थे। जयमाल का देहान्त सम्वत् 2020 में हो गया। समेला का देहान्त सम्वत् 2028 में और मोडा का देहान्त सम्वत् 2026 में हो गया। विवादित सम्पत्ति खसरा नम्बर 233 और 299 तीनों भाईयों के नाम हो गयी और पर्चा लगान में भी उनका नाम आ गया। खसरा नम्बर 234 मोडा के दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 198 व 248 अकेले समेला के नाम दर्ज हुआ। तीन जगह एक ही जमीन का

1/2–1/2 घोषणा का दावा किया। दिनांक 18–6–2002 को भीमा ने जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने धारा 188 की प्रार्थना खारिज कर दी और धारा 53 का दावा खसरा नम्बर 237 व 299 का डिक्री कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां वादी ने अपील पेश की, अपील का नोटिस ही नहीं दिया गया और मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद डिक्री कर दिया। जबकि प्रदर्श–1 जमाबन्दी ग्राम बालू में प्रतिवादी द्वारा ऋण लिया गया है जो जमाबन्दी में अंकित है। दूसरे गांव की जमीन ग्राम लूदराडा में आधा–आधा हिस्सा है। सम्वत् 2009 से ही खातेदारी है अमरा की पैत्रिक नहीं हो सकती। जमीन हमारे पिता के नाम से है और रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम से है जमीन शामलाती दोनों भाईयों के नाम से की गयी है प्रत्येक में खुद काश्त ही लिखा है। पट्टा के अनुक्रम में प्रविष्टि जमाबन्दी में आ गयी है। इस पट्टे को पक्षकार के चाचा पिता ने कोई चुनौती नहीं दी। विचारण न्यायालय में केवल वादी की ही बहस थी, प्राथमिक डिक्री का दावा सही डिक्री किया गया है। उसकी अपील नहीं हो सकती। अमरा की सम्पत्ति हो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने मौखिक साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय पारित किया है। वादी गवाह से जिरह नहीं होने का आधार लिया है। कयासों के आधार पर निर्णय दिया है जबकि तनकीवार विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किया जावे और विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल किया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का तर्क है कि अमरा के तीन सन्तान थी जगमाल, समेला और मोडा। समेला के भीमा प्रतिवादी और मोडा के लिकमा वादी हुआ और सम्वत् 2020 में जगमाल फौत हो गया था और सम्वत् 2026 में मोडा और सम्वत् 2028 में समेला फौत हो गया। जगमाल के बारे में कोई विवाद नहीं है। समेला कर्ता खानदान था और अपीलान्ट ने पर्चा खतौनी ही माना है अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। यह जमीन पहले जागीर की जमीन थी। सम्वत् 2010 में जगमाल का नाम आया है वह जिन्दा था और तीनों भाई बराबर बराबर काश्त करते थे। जागीर की जमीन थी पिता काश्त करते थे पर्चा बडे भाई के नाम बना दिया। पर्चा बडे भाई के नाम बनता है तो सभी का बराबर बराबर हिस्सा होता है क्योंकि यह जमीन संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मानी गयी है। पर्चा पर किसी कामदार के हस्ताक्षर नहीं है। समेला वाले पर समेला के नाम के हस्ताक्षर है तो फिर इन दो आदेशों पर क्यों नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादी की साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। अमरा के नाम का दावा नहीं है। जागीर की जमीन थी, पर्चा कभी चैलेन्ज किया जा सकता है। यहां अपील पी0डी0 हो गयी और दौराने वाद दूसरा दावा भी पेश किया जो मुकदमा नम्बर 98/1960 दिनांक 8–10–2008 को प्राथमिक डिक्री हो गया और अन्तिम भी हो गया। इसलिए यह अपील सारहीन हो गयी है। रिकार्ड बदलने के बाद बैंक का रहन रखा है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– इन तर्को का खण्डन करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता ने तर्क किया कि दावा में कर्ता खानदान होने का कहीं उल्लेख नहीं है जगमाल बडा था तो समेला के नाम कैसे आ सकती थी। जगमाल सैटलमैन्ट के 08वर्ष बाद मरा है तीनों के नाम अलग अलग है कर्ता खानदान भी अलग है। दूसरे सूट की साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश दिनांक 5–11–2003 का है और इस आदेश की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली अन्तिम डिक्री के लिए गयी है। जब तक वादी का वाद खारिज हो गया। अन्तिम डिक्री बनी ही नहीं और कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी है। नया दावा पेश करना विधि विरूद्ध है। अपील तो पेण्डिग ही थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए–

1. 1963 एआईआर (SC) पेज 992
2. 2012 पार्ट 18 आरसीआर (सीविल) पेज 604
3. 1996 आरआरडी पेज 591
4. 2012 आरबीजे पेज 203
5. 2013 डीएनजे IV राज. पेज 1618
6. 2012 एआईआर (SC) पेज 2528
7. 2014 आरआरटी I (SC) पेज 695
8. 2021 आरबीजे पेज 406
9. 2011 आरबीजे पेज 354
10. 2021 आरबीजे पेज 114

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

8– मण्डल हाजा के समक्ष विचारणीय कानूनी प्रश्न है कि जिस वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के पश्चात् अपील के लम्बित रहने के दौरान अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया तो उसका अपील पर क्या प्रभाव है? क्या अपील आगे चलेगी एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई अनियमितता एवं अवैधता है और आदेश पुष्टि किये जाने अथवा अपास्त किये जाने योग्य है?

9– प्रस्तुत प्रकरण में वादी लिकमा ने प्रतिवादी भीमा व राज्य सरकार के विरूद्ध दिनांक 20.06.2001 को दावा बंटवारा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था और इस निर्णय में उपखंड अधिकारी, बालोतरा द्वारा दिनांक 05.11.2003 को प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी। इस प्रकरण संख्या 100/2001 निर्णय दिनांक 05.11.2003 के विरूद्ध वादी

ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष अपील संख्या– 69/2003 बउनवानी लिकमाराम बनाम भीमा दिनांक 15.12.2003 को पेश की और इस अपील का निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा दिनांक 22.01.2004 को किया और निर्णय के अनुसार वादी का संपूर्ण वाद डिक्री किया जाकर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मंडल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना के लिए विभाजन प्रस्ताव तलब करने एवं विधिनुसार आगे कार्यवाही करने का निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय दिनांक 22.01.2004 की पालाना में उपखंड अधिकारी, बालोतरा में प्रकरण पुनः दिनांक 27.05.2004 को दर्ज करके मुताबिक निर्णय विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, सिवाना से मंगवाने के आदेश दिए गए। इसी दौरान मंडल हाजा में मौजूदा अपील 2006/2805 बउनवानी भीमा बनाम लिकमा पेश हुई। मंडल हाजा में दिनांक 11.06.2004 को अपील पेश हुई और जिसके नंबर 134/2004 के रूप में दर्ज हुआ और दिनांक 21.12.2005 को उक्त अपील अदम हाजरी अपीलार्थीगण की उपस्थिति में खारिज की गई और दिनांक 26.04.2006 को पुनः नंबर पर ली गई जिस कारण इस प्रकरण की पुनः नंबर– 2006/2805 दर्ज किया गया लेकिन इसी दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि दिनांक 30.07.2007 को वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया और अंतिम डिक्री नहीं बनाई गयी। अंतिम डिक्री के निर्णय के बिना प्रारंभिक डिक्री का कोई महत्व नहीं है। यदि अंतिम डिक्री नहीं बनती है तो प्रारंभिक डिक्री का कोई कानूनी वजूद भी नहीं रहता है। जिस प्रकार प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 का निस्तारण होता है और उसकी अपील दरअपील होती है लेकिन उस अपील दर अपील का अंतिम निर्णय होने से पूर्व ही यदि वाद खारिज हो जाता है तो धारा 212 के आदेश का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी प्रकार मूल वाद बंटवारे का है और बंटवारे के वाद में ही अंतिम डिक्री नहीं हुई तो प्रारंभिक डिक्री का कोई महत्व नहीं रहता है और न ही यह डिक्री निष्पादन योग्य होती है और न ही इस पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत लागू होता है, ऐसी स्थिति में मंडल हाजा की राय में जब अंतिम डिक्री पारित होने से पूर्व ही वाद खारिज हो गया तो उक्त अपील स्वतः सारहीन हो जाती है और सारहीन होने से यह अपील खारिज होने योग्य है आगे गुणावगुण पर विचार किए जाने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती है।

10– परिणामतः चुनौतीग्रस्त निर्णय प्रभावहीन हो जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( अविनाश चौधरी )**
**सदस्य**

**( गणेश कुमार )**
**सदस्य**